

## मुख्यमंत्री ने 8 बोर्ड के गठन को दी मंजूरी

### चर्चा में क्यों?

7 अक्टूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 8 विभिन्न बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी है।

### प्रमुख बिंदु

- इन नवगठित बोर्ड में राजस्थान राज्य राजा बली कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण (माँ पूरी बाई कीर) बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धाणका कल्याण बोर्ड एवं राजस्थान राज्य चतिरगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल हैं।
- ये सभी बोर्ड संबंधित वर्गों की स्थितिका जायजा लेने, प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा इनके पछिड़ेपन को दूर करने के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देंगे।
- ये बोर्ड संबंधित वर्ग के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित करने, उनके लिये वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने, रोजगार को बढ़ावा देने तथा शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नयन के संबंध में सुझाव देंगे। साथ ही, सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के वरिद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।
- इन सभी बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तीन सदस्य सहित 5-5 गैर-सरकारी सदस्य होंगे तथा राज्य के विभिन्न विभागों के शासन सचिव, आयुक्त, नदिशक, संयुक्त नदिशक एवं उप नदिशक स्तर के अधिकारी सरकारी सदस्य होंगे।
- इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी नगिम लिमिटेड या राजस्थान राज्य अन्य पछिड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी नगिम लिमिटेड के प्रबंध नदिशक स्तर के अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।